भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5359
दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हर घर जल योजना का कार्यान्वयन

5359. श्री राजीव रायः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घरों में हर घर जल योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए पाइप द्वारा पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने के पृथक ब्यौरे क्या है;
(ख) क्या मऊ जिले के सभी घरों को इस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है और पाइप से पानी के कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने योजना के कार्यान्वयन में ठेका एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या मऊ जिले के उन इलाकों में जहां हर घर जल योजना लागू की गई है, पाइपलाइन बिछाने के लिए नालियों की खुदाई, सड़कों, सीवर लाइनों आदि के कारण अवसंरचनात्मक क्षति को बहाल कर दिया गया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाली और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से कार्यान्वित किए जा रहे जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को हर घर जल योजना के तहत प्रदान किए गए पाइपगत जल कनेक्शनों का विवरण https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx पर जेजेएम आईएमआईएस डैशबोर्ड पर उपलब्ध है।

अमृत के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य में 4,267.71 करोड़ रुपये की लागत वाली 170 जल आपूर्ति परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 4,145.62 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं। अमृत और सामंजस्यता के तहत 9.29 लाख नल जल कनेक्शन (नए/सर्विसड) प्रदान किए गए हैं

अमृत 2.0 के तहत, उत्तर प्रदेश में अब तक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 21,209.76 करोड़ रुपये की 420 जल आपूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अनुमोदित परियोजनाओं में 63.22 लाख नए/सर्विस नल कनेक्शन शामिल हैं।

अमृत के तहत, मऊ जिले में 26.37 करोड़ रुपये की 3 जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू की गई हैं। सभी 3 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अमृत और सामंजस्यता के तहत 7,943 नल जल कनेक्शन (नए/सर्विसड) प्रदान किए गए हैं।

अमृत 2.0 के तहत, अब तक, मऊ जिले में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 377.88 करोड़ रुपये की 4 जल आपूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अनुमोदित परियोजनाओं में 92,303 नए/सर्विस नल कनेक्शन शामिल हैं।

(ख): जेजेएम आईएमआईएस डैशबोर्ड के अनुसार, 01.04.2025 तक, मऊ जिले में 28,230 परिवारों को अभी भी एफएचटीसी प्रदान किया जाना शेष है। राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, देरी के मुख्य कारण कोविड-19 महामारी, पाइपलाइन बिछाने या नाली/सड़क काटने के लिए विभिन्न विभागों (जैसे रेलवे, एनएच, पीडब्ल्यूडी और एक्सप्रेसवे) से मंजूरी, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी, समय पर सामग्री (जैसे डी.आई. पाइप आदि) की अनुपलब्धता है।

(ग): जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भुगतान से पूर्व तृतीय पक्ष निरीक्षण और प्रमाणन अनिवार्य है। इस प्रयोजनार्थ, राज्यों को एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्य की गुणवत्ता, निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता और प्रत्येक स्कीम में संस्थापित मशीनरी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) को पैनल में शामिल करने का अधिकार दिया गया है। राज्यों द्वारा पैनल में शामिल किए जाने वाली टीपीआईए के चयन और विचारार्थ विषयों (टीओआर) के मानदंड जेजेएम कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में दिए गए हैं। टीपीआईए द्वारा की गई गुणवत्ता जांचों का ब्यौरा राज्य स्तर पर रखा जाता है।

(घ) और (ङ): उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 27.03.2025 तक, मऊ जिले में 7499 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि कार्य के दौरान 2142 किलोमीटर की विभिन्न प्रकार की सड़कों को क्षति हुई थी; इसमें से 2106 किमी लंबाई वाली सड़कों को पहले ही ठीक किया जा चुका है।

*****